रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1003] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 13, 2018/फाल्गुन 22, 1939
No. 1003] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 13, 2018/PHALGUNA 22, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2018

का0आ0 1123(अ).—अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारुप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए, प्रकाशित किया जाता है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को या ई-मेल esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकता है ।

प्रारूप अधिसूचना

अमराबाद बाघ रिजर्व (ए.टी.आर) तेलंगाना में दक्षिणी-पूर्वी घाट की एक शाखा नल्लमालिस में स्थित है और यह 2611.09 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह भौगोलिक रूप से 16.006207 और 16.713067 उत्तरी अक्षांश और 78.415603 और 79.46740 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। यह अभयारण्य दक्कन पठार की विशिष्ट, भौतिक और जैविक सुविधाओं का प्रतीक है।

और, अमराबाद बाघ रिजर्व पूर्व राजीव गांधी वन्यजीव अभयारण्य और नागार्जुनसागर श्रीसैलम बाघ रिजर्व का उत्तरी भाग है, कृष्णा नदी के उत्तर में महबूब नगर और नालगोंडा जिलें में स्थित है। बाघ रिजर्व के अंतर्गत दो (2) संभाग आतें है, अर्थात् अचम्पेट वन्यजीव प्रबंधन संभाग और नागार्जुन सागर वन्यजीव प्रबंधन संभाग।

और, अमराबाद बाघ रिजर्व विशेषत: कई लुप्तप्राय वनस्पतियों और इससें संबंधित जीवजन्तुओं के लिए एक समृद्ध जैव-विविधता स्थल है। इस अभयारण्य का भू-आकृतिविज्ञान के मोजेक से अलंकृत किया गया है, कृष्णा नदी में धाराएं बहती है और यहां वनस्पति और जीवजंतु की प्रजातियों की विविधता है। अधिकांश क्षेत्र में पहाड़ी के साथ पठार, चट्टानें, घाटियां और गहरी घाटियां है, जो बांस और घास के विकास के साथ उष्णकटिबंधीय मिश्रित शुष्क पर्णपाती वनों को आश्रय प्रदान करते है;

और, अमराबाद बाघ रिजर्व में कुछ वनस्पति और जीवजंतु की विविधता का वास है क्योंकि यह दक्कन पठार में स्थित है। जू-भौगोलिक वर्गीकरण के अनुसार, यह क्षेत्र इंडो–मलायन क्षेत्र के अंतर्गत भारतीय जीवजंतु जैसे नीलगाय *(बोसेलैफस ट्रेगोमेमेलस)* काला हिरण *(अनटीलोपे केरवीकपरा)* और चौसिंगा मृग *(टेट्रासरस क्वाड्रिकोरिन),* आदि के अंतर्गत आता हैं। इस क्षेत्र में स्तनधारियां की 80 से अधिक प्रजातियां, 303 पक्षियों की प्रजातियां, 54 सरीसृपों की प्रजातियां, 20 उभयचरों की प्रजातियां, 55 मछलियों की प्रजातियों, 101 तितलियों की प्रजातियां, 57 कीटों की प्रजातियों, 45 कोलेआंपटेरन की प्रजातियां, 35 ओडोनाटा की प्रजातियां पाई जाती हैं। मुख्य जीवजंतु में बाघ *(पेंथेरा टिगरिस),* तेंदुआ *(पैंथेरा पार्डस),* भेडिया *(कैनिस लुपस),* सियार *(केनिस अयरेउस),* सांभर *(रूस यूनीक्लोर)*, चीतल *(एक्सिस एक्सिस),* चिंकारा *(गजेल्ला बेन्नेट्टीइ),* पिसूरी *(मोसचुस स्प),* बनैला सूअर (*सस स्क्रोफ़ा*) और साही शामिल है । कृष्णा नदी में मग्गर, ओटर और कछुए की आबादी है। दुर्लभ प्रजाति में पिसूरी (ट्रागुलीदेइ *जाति*) शामिल है। इसके अलावा इनवेटेब्रेट जीवजंतु की एक विस्तृत सरणी है;

और, अमराबाद बाघ रिजर्व एंडरोग्राफिस, नाल्लामलायना, इरीओटा, इनालुसींगटोइ आदि का वास है अनुमान कि यहां 29 घासों की प्रजातियां और 353 औषधीय पौधों की प्रजातियां नल्लमाला में 109 परिवारों के साथ 743 टेक्सा हैँ। दक्षिणी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन सागौन धारक वनों के साथ अतिव्याप्त है जहां भूवैज्ञानिक संरचना मूल है और मिट्टी काले कपास के अनुकूल है। सागौन विभिन्न प्रकार के अनुरूप में विद्यमान हैं, विशेष रूप से बलुई मिट्टी के नदी के किनारे और सहायक स्थलों के छोटें पैचों में स्थानीयकृत है। मुख्य विशेषता वृक्ष *टेक्टोना ग्राडिस, टर्मिनलिया टोमेंटोसा, टर्मिनलिया बेल्लेरिका, लेगरस्ट्रोइमिया परविफ्लोरा, क्लोरोक्ज़िलोन स्वीइटेनीया, बोसवेल्लीया सेर्राटा, सोयमीदा फेबरीफगा, माधुका इंडिका, बुचानेनीया लतीफोलिया, स्टेरकुली अयरेंस, एनोगेसस लेटीफोलिया, कैडिया कैलीसीना और ब्यूटा फ्रांदोसा*, है;

और, अमराबाद बाघ रिजर्व के चारों ओर के क्षेत्र को, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना करना आवश्यक है ;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की उपधारा (1) तथा धारा 3 की उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तेलंगाना राज्य में अमराबाद बाघ रिजर्व की सीमा के चारों ओर 0 से 1 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को अमराबाद बाघ रिजर्व पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**--(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार अमराबाद बाघ रिजर्व के चारों ओर 0 किलोमीटर से 1 किलोमीटर तक विस्तारित है। आंध्र प्रदेश के नागार्जुनसागर बाघ रिजर्व के समीपवर्ती दक्षिणी भाग का विस्तार शून्य है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन अचम्पेट संभाग में अमराबाद बाघ रिजर्व के

मध्यवर्ती क्षेत्र की सीमा से आरंभ होता है और बाघ रिजर्व की सीमा के साथ 1 किलोमीटर की चौडाई के साथ नागार्जुनसागर संभाग की ओर फैला हुआ है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्र 315 वर्ग किलोमीटर है।

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के संरक्षित क्षेत्र का मानचित्र **उपाबंध I** में दिया गया है और ग्रामों के स्थान की मानचित्र में प्रदर्शित करके **उपाबंध I (क)** के रूप में संलग्न है। संरक्षित क्षेत्र और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के निर्देशांकों की सूची **उपाबंध I (ख)** और **(ग)** के रुप में संलग्न है ।

(**3**) अमराबाद बाघ रिजर्व के पारिस्थितिकी संवेदी जोन 16.000197 से 16.717876 उत्तरी अक्षांश और 78.403642 से 78.24 पू से 79.473548 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का वर्णन **उपाबंध II** के रूप में संलग्न हैं ।

(4) मुख्य बिंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध III** के रूप में संलग्न हैं ।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना:–

(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ एक आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से राज्य सरकार द्वारा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, के अनुरूप तैयार की जाएगी।

(3) आंचलिक महायोजना, पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय संबंधी सरोकारों को उक्त योजना में समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार की जायेगी,:--

(i) पर्यावरण;
(ii) वन और वन्यजीव;
(iii) कृषि और बागवानी ;
(iv) राजस्व;
(v) शहरी विकास;
(vi) पारि-पर्यटन सहित पर्यटन;
(vii) ग्रामीण विकास;
(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
(ix) नगरीय और ग्रामीण विकास;
(x) पंचायती राज;
(xi) लोक निर्माण विभाग।

(4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों को अधिक दक्ष और पर्यावरण अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित और अवक्रमित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की

आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, की व्यवस्था की जाएगी ।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामीण और शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का सहायक मानचित्रों के साथ निर्धारण किया जाएगा। इस योजना से संबंधित सहायक मानचित्र में विद्यमान और प्रस्तावित भूमि के उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा दिया जाएगा।

(7) आंचलिक महायोजना के अंतर्गत पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित किया जाएगा तथा इस अधिसूचना में विनिर्दिष्टानुसार निषिद्ध किए गए, विनियमित किए और बढ़ावा दिए गए क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा तथा स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के किए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास सुनिश्चित तथा संवर्धित किया जायेगा ।

(8) आंचलिक महायोजना क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी ।

(9) आंचलिक महायोजना, निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी जिसमें इस अधिसूचना के उपबंधों से सम्बधित उसके कर्तव्यों के निवर्हन का विवरण होगा ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय—**राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:--

(1) **भू-उपयोग.–** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए उद्यानों और खुले स्थानों का बड़े वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं किया जाएगा:

(ख) परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, तथा इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे कि:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का निर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का निर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) ग्रामीण उद्योगों सहित कुटीर उद्योग; सुविधा भण्डार और गृह वास सहित स्थानीय सुविधाएं जो पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक हैं; और

(v) बढ़ावा दिए गए और पैरा-4 में वर्णित क्रियाकलाप :

(ग) परंतु यह भी कि राज्य सरकार के प्रासंगिक नियमों तथा विनियमों एवं क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों अथवा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, के अनुपालन के बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

(घ) परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर की भूमि के अभिलेखों में उत्पन्न किसी त्रुटि की, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार शुद्धि की जाएगी और उक्त त्रुटि के शुद्धिकरण की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी ।

(ङ) परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि के शुद्धिकरण में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

(च) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण के तथा पर्यावास और जैव- विविधता की बहाली के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत.**—आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों/नदियों/जलमार्गो की पहचान की जाएगी और उसमें उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी ।

(3) **पर्यटन/पारिस्थितिकी पर्यटन.**—(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन संबंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार होगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग द्वारा राज्य के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का एक घटक होगी।

(घ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित होंगे,:-

(i) वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 1 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इसमें जो भी निकट हो, किसी होटल या रिजार्ट का नया संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा । तथापि, वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 1 किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक नए होटलों और रिजार्टों की स्थापना पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए पूर्व परिभाषित एवं अभीहित क्षेत्रों में अनुज्ञात की जाएगी।

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन पर बल देते हुए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन मार्गदर्शी सबंधी सिद्धांतों के अनुसार होगा।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के विकास तथा विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नये होटल/रिजार्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होगा।

(4) **प्राकृतिक विरासत.—**पारिस्थितिकी संवेदी जोन में बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि सभी जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी तथा उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी जो आंचलिक महायोजना का भाग होगी ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.—**पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कृत्रिम क्षेत्रों, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी जो आंचलिक महायोजना का भाग होगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण**– तेलंगाना राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन बने ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार पारिस्थितकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण संबंधी विनियमों को लागू करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण का निवारण एवं नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधो और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्रावों का निस्सारण, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत शामिल किए गए पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण संबंधी साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों के अनुसार किया जाएगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट -** ठोस अपशिष्टों का निपटान और प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। गैर-जैविक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थान पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवदी जोन के भीतर मान्य प्रौद्योगिकियों (ईएसएम) का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रंबंधन अनुज्ञात किया जायेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट**- (क) जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान निम्न प्रकार से किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय –समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ख) पारिस्थितिकी संवदी जोन के भीतर मान्य प्रौद्योगिकियों (ईएसएम) का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल ठोस प्रंबंधन अनुज्ञात किया जायेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय –समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधो के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय –समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई–अपशिष्ट:-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 समय –समय पर यथा संशोधित के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **वाहन-यातायात: -** वाहन-यातायत का संचलन आवास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे तथा आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के

सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जाने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार वाहनों की आवाजाही के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(15) **वाहन जनित प्रदूषण:-** वाहन प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा। स्वच्छतर ईंधन जैसे कि सीएनजी, एलपीजी आदि के प्रयोग के प्रयास किए जाएंगे ।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां: -** (i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी भी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं की जायेगी।

(ii) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात की जायेगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जायेगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण: -** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जायेगा:

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं होगी ।

(ख) जिन विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है, उनमें कोई भी संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जायेगा ।

(18) केन्द्र सरकार और राज्य सरकार, यदि आवश्यक समझें तो, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए, अन्य उपाय विनिर्दिष्ट करेंगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और उसके तहत बनाए गए नियमों तथा तटीय विनियमन जोन, 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) के उपबंधों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात् :--

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	**वाणिज्यिक खनन ।**	(क) **स्थानीय निवासियों की वास्तविक घरेलू आवश्यकताओं, जिनमें घर के निर्माण या मरम्मत के लिए जमीन की खुदाई और मकान बनाने एवं अन्य क्रियाकलापों के लिए देशी टाइलें या ईटें बनाना शामिल है, को छोडकर सभी नई और वर्तमान (लघु एवं वृहद खनिज) पत्थर खोदने एवं तोडने वाली ईकाइयां तत्काल प्रभाव से निषिद्ध की जाती है ;** (ख) **खनन क्रियाकलाप, टी.एन. गोदावर्मन थिरूमलपाद बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 1995 की रिट याचिका (सी) सं 202 में दिनांक 4 अगस्त, 2006 तथा गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 2012 की रिट याचिका(सी) सं. 435 में दिनांक** 21 **अप्रैल**, 2014 **के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसरण में किए जाएंगे।**

2.	उद्योगों की स्थापना जिसके अंतर्गत (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) प्रदूषण उत्पन्न करने वाले नए तेल और गैस खोज उद्योग भी हैं।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नए उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुमति नहीं होगी। (ख) जब तक कि इस प्रकार अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर- प्रदूषणकारी उद्योगों की अनुज्ञा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
3.	नई बड़ी जल विद्युत परियोजना और सिंचाई परियोजना की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितकी संवेदी जोन के भीतर नई आरा मिलों की स्थापना और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
7.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
8.	पोलिथीन बैगों का उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
9.	ईंट भट्टों की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
	ख. विनियमित क्रियाकलाप	
10.	होटलों और रिजॉर्टो की वाणिज्यिक स्थापना ।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटल और रिजोर्ट अनुज्ञात नही होंगे। परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर के बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुरूप होगा।
11.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी भी प्रकार का नया वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय निवासियों की आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थानीय लोगों को, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार संनिर्माण करने की अनुमति दी जाएगी जैसे कि :- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण;

		(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण; (iii) फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार गैर- प्रदूषणकारी लघु उद्योग; (iv) ग्रामीण उद्योगों सहित कुटीर उद्योग, सुविधा भण्डार और ग्रह वास सहित पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक स्थानीय सुविधाएं हैं; और (v) इस अधिसूचना में सूचीबद्ध बढ़ावा दिए गए क्रियाकलाप । (ख) परन्तु लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ऐसे लघु उद्योगों, जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे । (ग) एक किलोमीटर से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।
12.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होगा ।
13.	फर्मों, कॉर्पोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
14.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी ।
15.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
16.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने और तार-बिछाने एवं अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा । भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
17.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचा।	लागू विधियों, नियमों और विनियमों तथा मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ किया जायेगा।
18.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ बनाना और नई सड़कों का निर्माण ।	लागू विधियों, नियमों और विनियमों तथा मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ किया जायेगा।
19.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग तथा अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, बागबानी या कृषि आधारित उद्योग, जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाते हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात

		होंगे।
20.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स आदि को उड़ाने जैसे क्रियाकलाप ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
21.	पर्वतीय ढ़लानों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
22.	रात्रि में वाहन यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा ।
23.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित/अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण ।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिस्राव के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/ बहिस्राव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
24.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक उपयोग और निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
25.	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुले कुएं/ बोर कुएं आदि का निर्माण ।	समुचित प्राधिकारी द्वारा विनियमित किया जाएगा तथा क्रियाकलाप की सख्त निगरानी की जाएगी।
26.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन/ जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
27.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
28.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
29.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
	ग. संवर्धित क्रियाकलाप	
30.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
31.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
32.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
34.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय रुप से बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

39.	**अवक्रमित भूमि/वनों या वास-स्थलों की बहाली ।**	**सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।**
40.	**पर्यावरणीय जागरुकता ।**	**सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।**

5. निगरानी समिति.-

केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पारिस्थितिक संवेदी जोन की प्रभावी निगरानी के लिए जिला स्तर पर एक निगरानी समिति गठित करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:--

(i)	जिला कलेक्टर, नागरकुर्नूल जिला	-अध्यक्ष;
(ii)	क्षेत्र निदेशक, अमराबाद बाघ रिजर्व	–सदस्य;
(iii)	पर्यावरण (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों का एक प्रतिनिधि जिसे सरकार द्वारा नामित किया जायेगा	–सदस्य;
(iv)	क्षेत्रीय अधिकारी, तेलंगाना राज्य प्रदूषण बोर्ड, नागरकुर्नूल	–सदस्य;
(v)	वरिष्ठ नगर नियोजक/जिला पंचायत अधिकारी, नागरकुर्नूल	–सदस्य;
(vi)	वन मंडल अधिकारी, अचाम्पत, अमराबाद, डब्ल्यूएलएम, नागार्जुनसागर	–सदस्य;
(vii)	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट पारिस्थितिकी और पर्यावरण क्षेत्र का एक विशेषज्ञ	
(viii)	राज्य सरकार द्वारा नामित जैवविविधता विशेषज्ञ	–सदस्य;
(ix)	जिला वन अधिकारी, नागरकुर्नूल	–सदस्य सचिव।

6. विचारार्थ विषय:-

(1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुन: गठन किए जाने तक होगा और बाद में निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) निगरानी समिति उन क्रियाकलापों को अनुज्ञात नहीं करेगी जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचनाओं अर्थात् पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 सं.का.आ.1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 और तटीय विनियम जोन, 2011 सं.का.आ 19 (अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 तथा इनमें किए गए परिवर्ती संशोधनों की अनुसूची के अंतर्गत आते हैं और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा में भी आते हैं जिनमें इस अधिसूचना के पैरा-4 में दी गई सारणी में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप भी शामिल हैं। केवल श्वेत श्रेणी के उद्योगों को ही केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ''उद्योगों के वर्गीकरण, 2016'' के लिए जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों में विनिर्दिष्ट माना जाएगा।

(4) वे क्रियाकलाप, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 और का.आ. 19 (अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 की अनुसूची के अंतर्गत नहीं आते हैं और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा में आते हैं, उनकी, इस अधिसूचना के पैरा-4 में दी गई सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, वास्तविक स्थल–विशिष्ट दशाओं के आधार पर निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उन्हें संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को भेजा जाएगा।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित आयुक्त कलेक्टर अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होगा ।

(6) निगरानी समिति प्रत्येक मामले में आवश्यकताओं के आधार पर संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में मुख्य वन्यजीव वार्डन को, **उपाबंध IV** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे।

[फा.सं. 25/34/2017-ईएसजेड]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

पारिस्थितिकी संवेदी जोन सहित अमराबाद बाघ रिजर्व, तेलंगाना का मानचित्र

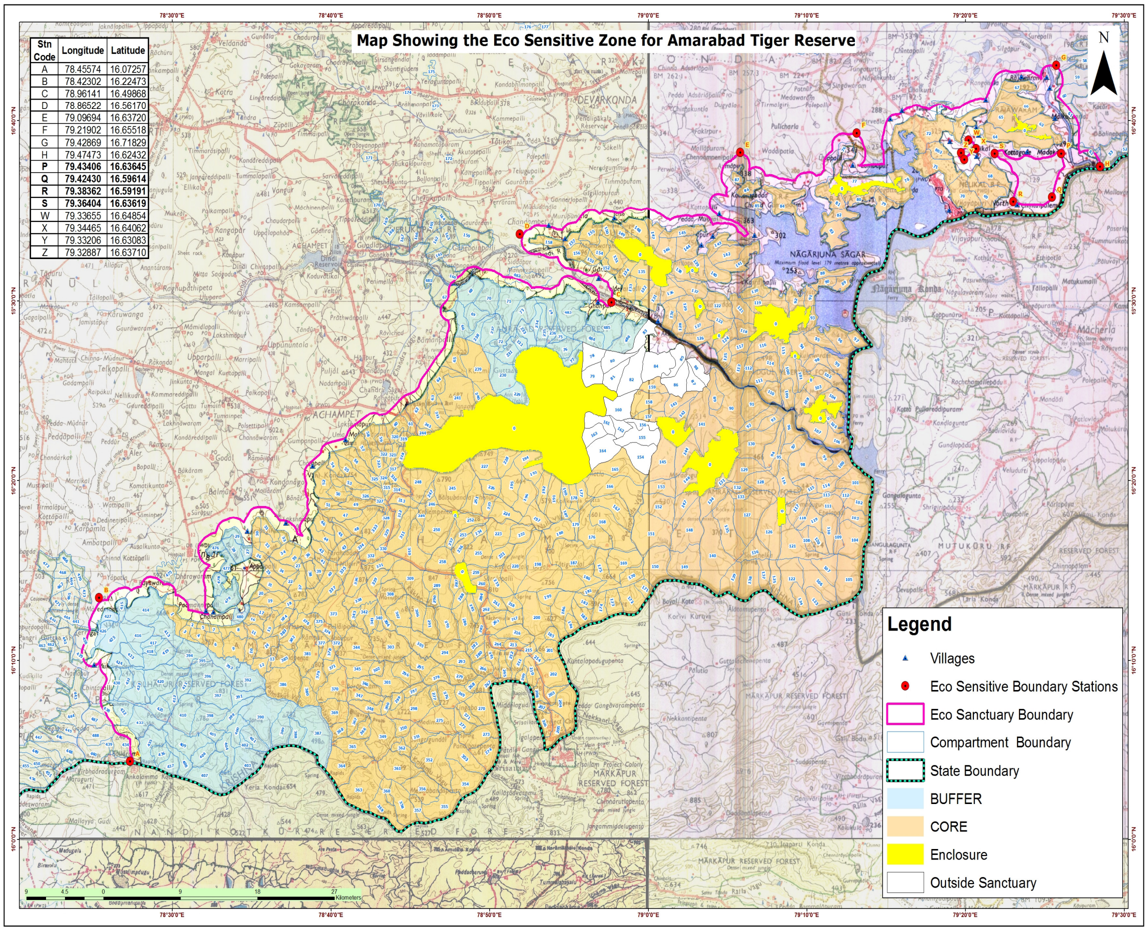

उपाबंध-I (क)

पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत ग्रामों के स्थान दर्शाते हुए अमराबाद बाघ रिजर्व,तेलंगाना का मानचित्र

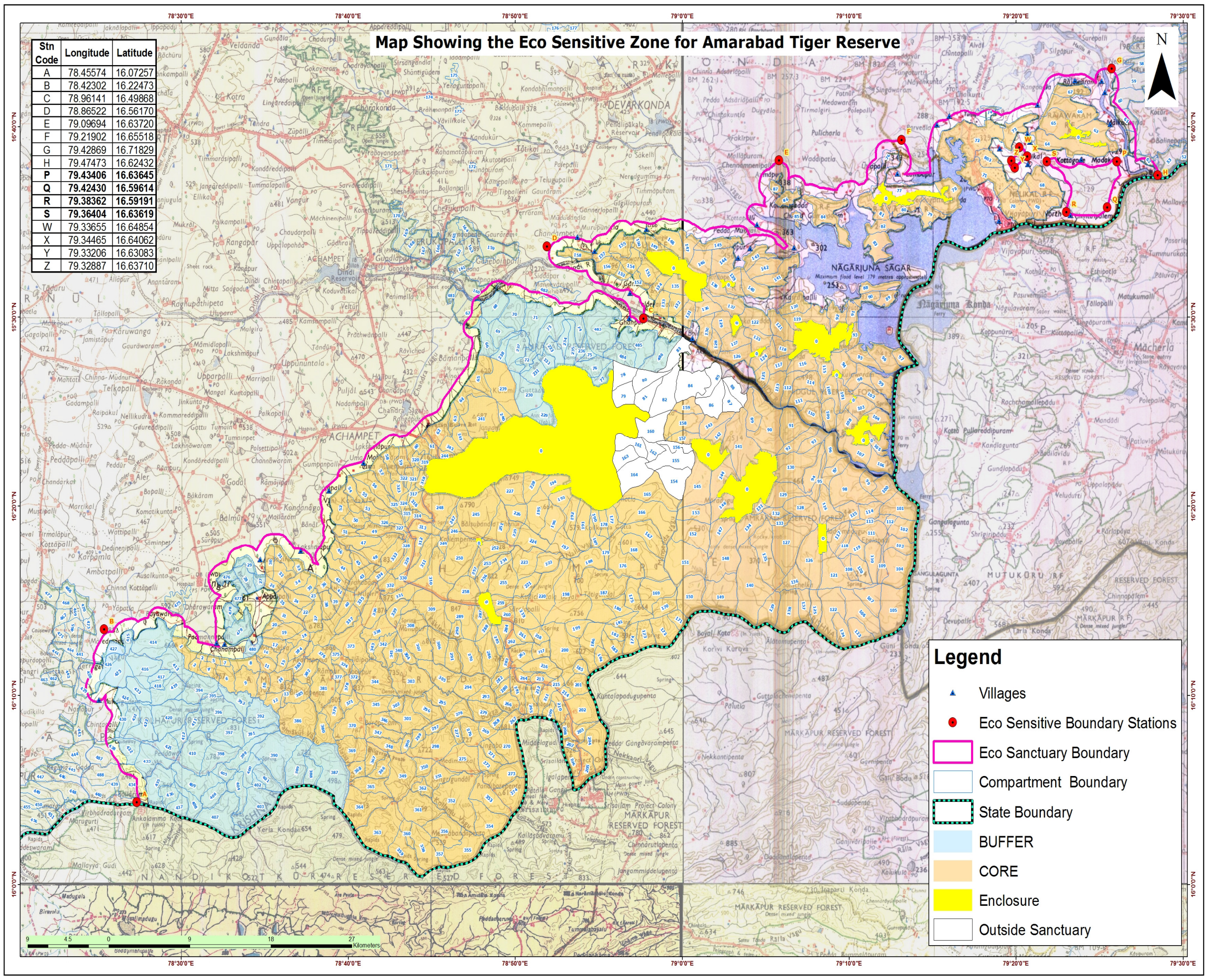

उपाबंध-I (ख)

अमराबाद बाघ रिजर्व, तेलंगाना की सीमा का भू-निर्देशांक

बिंदु कोड	अक्षांश	देशांतर
i	16.06589023	78.65995250
ii	16.23628256	78.47676623
iii	16.38740173	78.71157085
iv	16.52337223	79.81458439
v	16.36526449	79.97207569
vi	16.50942820	78.06124209
vii	16.6458281	78.2083937

viii	16.6490795	78.4346151

उपाबंध-I (ग)

अमराबाद बाघ रिजर्व, तेलंगाना की सीमा के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भू- निर्देशांक

बिंदु कोड	अक्षांश	देशांतर
ए	16.07243628	78.45668614
बी	16.21104987	78.53540594
सी	16.28379208	78.63420909
डी	16.49830694	78.96246792
ई	16.57170462	78.06616173
एफ	16.68049394	79.32521786
जी	16.62278717	79.47474370

उपाबंध II

अमराबाद बाघ रिजर्व, तेलंगाना के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

पश्चिम(क से ख) :- पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा रेखा मानचित्र (कृष्णा नदी का बायं तट) मानचित्र पर दर्शाये गये स्टेशन 'ए' से आरंभ होती है । स्टेशन 'ए' की जीपीएस रिडिंग 16.07257 उ, 78.45574 पू है। इसके बाद सीमा रेखा कम्पार्टमेंट सं. 435, 433, 432, 430, 424, 425, 426, 427 की पश्चिमी सीमाओं से '1' किलोमीटर की चौड़ाई के साथ आडे तिरछे ढंग में उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर जाती है और मानचित्र पर दर्शाये गये स्टेशन 'बी' से मिलती है। स्टेशन 'ख' की जीपीएस रिडिंग 16.22473 उ, 78.42302 पू है।

उत्तर (ख से ङ):- इसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा रेखा कम्पार्टमेंट सं. 427, 415, 414. की उत्तरी सीमाओं से '1' किलोमीटर की चौड़ाई के साथ आडे तिरछे ढंग से स्टेशन 'बी' से उत्तर-पूर्व दिशा की ओर जाती है। इसके बाद सीमा रेखा कम्पार्टमेंट सं. 66. के दक्षिण- पश्चिम कोण से 1 किलोमीटर की चौड़ाई के साथ राजीव गांधी वन्यजीव अभयारण्य की उत्तरी सीमा के साथ जाती है। इसके बाद सीमा रेखा कम्पार्टमेंट सं. 66, 68 की पश्चिम सीमाओं से 1 किलोमीटर की चौड़ाई के साथ उत्तरी दिशा की ओर जाती है और दींदी के नदी तट से मिलती है। इसके बाद सीमा रेखा कम्पार्टमेंट सं 68, 70, 71, 73, 74, 483, 485, 486 की उत्तरी सीमाओं से 1 किलोमीटर की चौड़ाई के साथ आडे तिरछे ढंग में पूर्वी दिशा की ओर जाती है और मानचित्र पर दर्शाये गये स्टेशन 'सी' से मिलती है। स्टेशन 'सी' की जीपीएस रिडिंग 16.49868 उ, 78.96141 पू. है। इसके बाद इस पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा कम्पार्टमेंट सं. 131, 132, 133, 134, 152, 153, 156 और 158 की पश्चिमी सीमा के साथ आडे तिरछे ढंग में उत्तर-पश्चिम की ओर स्टेशन 'सी' से स्टेशन 'डी' पहुंचती है। स्टेशन 'डी' की जीपीएस रिडिंग 16.56170 उ, 78.86522 पू है। स्टेशन 'डी' से पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा कम्पार्टमेंट सं 158, 157, 155, 150, 149, 148, 147, 145, 144, 139, 140, 143, 142, 141. के साथ 1 किलोमीटर की दूरी से पूर्व की ओर जाती है । इसके बाद सीमा रेखा उत्तर पश्चिमी दिशा में जाकर, पूर्वी दिशा की ओर मुडकर कम्पार्टमेंट सं. 84 से जाती है और कम्पार्टमेंट सं. 86 और 87 की सीमा के साथ पश्चिम की ओर मुडकर और स्टेशन

'इ' पर पहुंचती है। स्टेशन 'इ' की जीपीएस रिडिंग 16.6372 उ, 79.09694 पू है और फिर पूर्व की ओर मुडकर और कम्पार्टमेंट सं 84, 81. के साथ जाती है। इसके बाद रेखा कम्पार्टमेंट सं 76 के साथ उत्तर की ओर जाकर कम्पार्टमेंट सं 76 के चारों ओर जाती है और स्टेशन 'एफ' पर पहुंचती है । स्टेशन 'एफ' की जीपीएस रिडिंग 16.65518 उ, 79.21902 पू है और फिर दक्षिण की ओर मुडकर कम्पार्टमेंट सं. 77 की सीमा के साथ पूर्व की ओर जाती है। इसके बाद सीमा रेखा कम्पार्टमेंट सं 78, की सीमा के साथ जाकर, उत्तर की ओर मुडकर कम्पार्टमेंट सं 72, 73, 67 की उत्तरी सीमा के साथ पूर्व की ओर जाती है। इसके बाद सीमा रेखा पूर्व की ओर जाकर और हलिया नदी को पार करके स्टेशन 'जी' पर पहुंचती है। स्टेशन 'जी' की जीपीएस रिडिंग 16.71829 उ 79.42869 पू है।

पूर्व (जी से एच) :- पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा रेखा इसके बाद कम्पार्टमेंट सं 59, 60, 61 और 62 के साथ हलिया नदी के तट से 1 किलोमीटर की दूरी में दक्षिणी दिशा की ओर जाकर कृष्णा नदी के बाएं तट पर पहुंचती है जो स्टेशन 'एफ' है। स्टेशन 'एच' की जीपीएस रिडिंग 16.62432 उ 79.47473 पू है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा रेखा स्टेशन 'पी' से हलिया नदी से 100 मीटर की दूरी पर जाती है। स्टेशन. 'पी' की जीपीएस रिडिंग 16.63645 उ, 79.43406 पू है और फिर दक्षिण की ओर जाती है जो स्टेशन 'क्यू' है। स्टेशन 'क्यू' की जीपीएस रिडिंग 16.59614 उ, 79.42430 पू है और कम्पार्टमेंट सं 69 के दक्षिण-पूर्वी किनारे की ओर पूर्व मे मुडकर स्टेशन 'आर' पहुंचती है स्टेशन 'आर' की जीपीएस रिडिंग 16.59191 उ, 79.38362 पू है। इसके बाद रेखा कम्पार्टमेंट सं. 69 एवं 68 की पूर्वी सीमा के साथ उत्तर पश्चिम की ओर जाती है और स्टेशन 'एस' पहुंचती है। स्टेशन 'एस'की जीपीएस रिडिंग 16.63619 उ, 79.36404 पू है और फिर पूर्व की ओर मुडकर कम्पार्टमेंट सं 64 की सीमाओं के साथ जाती है और स्टेशन 'पी' पहुंचती है जो आरंभ बिंदु है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन की रेखा स्टेशन 'डब्ल्यू' से आरंभ होती है। स्टेशन 'डब्ल्यू' की जीपीएस रिडिंग 16.64854 उ, 79.33655 पू है और फिर दक्षिण पश्चिमी की कम्पार्टमेंट सीमा से 1 किलोमीटर की दूरी में कम्पार्टमेंट सं 68, 69, 70 के समान्तर जाती है और स्टेशन 'एक्स' पर पहुंचती है। स्टेशन 'एक्स' की जीपीएस रिडिंग 16.64062 उ, 79.34465 पू है,पर इसके बाद कम्पार्टमेंट 71 की पूर्वी सीमा के साथ उत्तर की ओर मुडती है और स्टेशन 'वाई' पर पहुंचती है । स्टेशन 'वाई' की जीपीएस रिडिंग 16.63083 उ, 79.33206 पू है और फिर कम्पार्टमेंट सं 72, 73 की सीमा के साथ उत्तर पूर्व की ओर मुडकर और स्टेशन 'जेड' पर पहुंचती है । स्टेशन 'जेड' की जीपीएस रिडिंग 16.63710 उ, 79.32887 पू है पर इसके बाद यह रेखा कम्पार्टमेंट सं 68 की ओर दक्षिण पूर्व में मुडती है और आरंभ बिंदु 'डब्ल्यू' पर पहुंचती है

दक्षिण (एच से ए): - पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा इसके बाद दक्षिण पश्चिम और पश्चिमी दिशा में कृष्णा नदी के साथ जाती है जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों के बीच की सीमा भी है और फिर स्टेशन 'ए' पर पहुंचती है जो आरंभिक बिंदु है।

उपाबंध-III

अमराबाद बाघ रिजर्व, के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र.सं.	जिला का नाम	संभाग का नाम	मंडल का नाम	ग्राम का नाम	अक्षांश	देशांतर
1	महबूब नगर	अचाम्पत	कोल्लापुर	मुक्कीदीयांदाम	16.16226	78.41752
			लिंगल	पदमनापल्ली	16.21280	78.53516
			लिंगल	चेन्नाम्पल्ली	16.21175	78.54313
			लिंगल	अम्बागिरी	16.28598	78.57857

			अमराबाद	लक्ष्मापुर	16.29374	78.61904
			अचामपत	छोटापल्लय टंदा	16.34680	78.64714
			अचामपत	छोटापल्लय टंदा	16.37091	78.68195
			अचामपत	घांपुर	16.49879	78.94699
2	नलगोंदा	एन.सागर	पेद्दावूरा	पयलोग कोलोनीय	16.58384	79.31606
			पेद्दावूरा	छिन्टलापलेम	16.58922	79.38721
			पेद्दावूरा	जल थंडा	16.63394	79.34483
			पेद्दावूरा	उराबवी थंडा	16.67608	79.26635
			पेद्दावूरा	माल्लेवनीकुंता टंदा	16.66834	79.25402
			पेद्दावूरा	येर्राछिरवय थंडा	16.64768	79.31660
			अनुमुला	गरकनट थंडा	16.66892	79.42724
			अनुमुला	येल्लापुर थंडा	16.68623	79.35442
			अनुमुला	राजवरमा	16.70714	79.41853
			अनुमुला	दोक्कालाबावी	16.69734	79.42177
			पेद्दावूरा	चेननाइपलम	16.63811	79.39808
			पेद्दावूरा	चेक्कोलाम	16.66055	79.34442
			पेद्दावूरा	पील्लीगुंटा थंडा	16.65329	79.34688
			पेद्दावूरा	गोदुमादेका	16.63394	79.34483
			पी.ए. पाल्ली	नामबपुर	16.62576	79.21464
			अनुमुला	अशोकनगर	16.70749	79.39182
			नीदुगुल	पथुरूथंडा	16.56979	78.89532
			नीदुगुल	कोरूटला	16.55741	78.91228
			नीदुगुल	मलोनीबावी थंडा	16.57674	78.96402
			नीदुगुल	बचापुर	16.56000	79.06759
			नीदुगुल	पेद्दामुनीगल	16.58067	79.07455
			नीदुगुल	पल्लागट्टु थंडा	16.55149	79.05578
			नीदुगुल	वीजग कोलानी	16.56042	79.11156
			नीदुगुल	बंदामेदी थंडा	16.48072	79.00992
			नीदुगुल	तेल्देवारपाल्ली	16.52065	78.94788
			नीदुगुल	चीतरीयाला	16.53799	79.99793

उपाबंध-IV

पारिस्थितिकी संवेदी जोन की निगरानी समिति-की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का प्रपत्र

1. बैठकों की संख्या और तारीख।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार। विवरण उपाबंध के रूप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार। विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें।

6. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार। विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th March, 2018

S.O. 1123(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in.

Draft Notification

WHEREAS, the Amrabad Tiger Reserve (A.T.R) is situated in the Nallamalais – an offshoot of Southern – Eastern Ghats in Telangana and is spread over an area of 2611.09 square kilometres. It is geographically located between 16.006207 and 16.713067 North Latitudes and 78.415603 and 79.46740 East Longitudes. This sanctuary epitomizes typical, physical and biological features of Deccan plateau.

AND WHEREAS, the Amrabad Tiger Reserve is the northern part of erstwhile Rajiv Gandhi Wildlife Sanctuary and Nagarjunasagar Srisailam Tiger Reserve, north of River Krishna located in Mahabub Nagar and Nalgonda Districts. The Tiger Reserve falls in two (2) Divisions namely, Achampet Wildlife Management Division and Nagajunasagar Wildlife Management Division.

AND WHEREAS, the Amrabad Tiger Reserve is an abode for rich bio-diversity, especially for many endangered flora and its associated fauna. This sanctuary is decorated with mosaic of geo-morphological diversity, streams draining into River Krishna and a variety of floral and faunal species. Most of the area is hilly with plateaus, ridges, gorges and deep valleys which support tropical mixed dry deciduous forests with an under growth of bamboo and grass;

AND WHEREAS, the Amrabad Tiger Reserve harbors some of the wide variety of flora and fauna because of its location in Deccan plateau. As per zoo-geographic classification, this area comes under Indo-Malayan region native to the true Indian fauna like the Nilgai (*Boselaphus tragocamelus*), Black buck (*Antilope cervicapra*) and four horned antelope (*Tetracerus quadricornis*), etc. Over 80 species of mammals, 303 species of birds, 54 species of reptiles, 20 species of amphibians, 55 fish species of, 101 species of Butterflies, 57 species of Moths, 45 species of coleopterans, 35 species of odonata are found in the area. The main fauna include Tiger (*Panthera tigris*), Panther (*Panthera pardus*) Wolf (*Canis lupus*), Jackal (*Canis aureus*), Sambar (*Rusa unicolor*), Chital (*Axis axis*), Chinkara (*Gazella bennettii*), Mouse Deer (*Moschus sp.*), Wild boar (*Sus scrofa*) and Porcupine. The river Krishna has Mugger, Otters and Turtle populations. Rare species include Mouse Deer (*Tragulidae species*). Apart from these there is a wide array of invertebrate fauna;

AND WHEREAS, the Tiger Reserve also harbours endemic species like *Andrographis nallamalayana*, *Eriola enalushingtonii*, etc. It has been estimated that there are 743 taxa spread over 109 families occurring in Nallamala along with 29 species of grasses and 353 species of Medicinal plants. Southern dry mixed deciduous forest overlap with the teak bearing forests where the geological formation is basic and the soil is loamy to black cotton. Teak is present in varying proportion particularly localized to loamy riverbanks and in small patches in favorable sites. The main characteristic trees are *Tectona grandis*, *Terminalia tomentosa*, *Terminalia bellerica*, *Lagerstroemia parviflora*,

Chloroxylon swietenia, *Boswellia serrata*, *Soymida febrifuga*, *Madhuca indica*, *Buchanania latifolia*, *Sterculi aurens*, *Anogeissus latifolia*, *Kydia calycina* and *Butea frandosa*;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area around the protected area of Amrabad Tiger Reserve as Eco Sensitive Zone from ecological and environmental point of view;

NOW THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area with an extent varying from 0 to 1 kilometre around the boundary of Amrabad Tiger Reserve in the State of Telangana as the Amrabad Tiger Reserve Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.-**(1) The extent of Eco-sensitive Zone varies from 0 to 1 kilometre around the Amrabad Tiger Reserve. Zero extent is towards the Southern side adjoining Nagarjunasagar Tiger Reserve of Andhra Pradesh. The Eco-sensitive zone starts from boundary of the buffer zone of Amrabad Tiger Reserve in Achampet Division and extends towards Nagarjunasagar Division with a width of 1 Km along the boundary of the Tiger Reserve. The area of the Eco-Sensitive Zone is 315 square kilometers.

(2) The map of the Protected Area demarcating the Eco-sensitive Zone boundary is at **Annexure I** and map displaying the location of villages is appended as **Annexure I (A)**. The list of geo co-ordinates of the boundary of the Protected Area and the Eco-Sensitive Zone is at **Annexure I (B) and (C)** respectively.

(3) The Eco- Sensitive Zone of Amrabad Tiger Reserve is situated between 16.000197 to 16.717876 North latitudes and 78.403642 to 78.24 E to 79.473548 East longitudes. The boundary description of the Eco Sensitive Zone is appended at **Annexure II.**

(4) The list of villages falling within the Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure III**.

2. **Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.-** (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of Competent Authority in the State Government.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:

(i) Environment,
(ii) Forest and Wildlife,
(iii) Agriculture and Horticulture,
(iv) Revenue,
(v) Urban Development,
(vi) Tourism including eco-tourism,
(vii) Rural Development,
(viii) Irrigation and Flood Control,
(ix) Municipal and Urban Development,
(x) Panchayati Raj, and
(xi) Public Works Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded and degraded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps. The Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in Table and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by State Government.-The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Landuse.-** The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities.

(b) Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a), within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central/State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as:

(i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) Small scale industries not causing pollution;

(iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) Promoted activities and given under para 4.

(c) Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

(d) Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

(e) Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(f) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat and biodiversity restoration activities.

(2) **Natural Springs.-** The catchment areas of all natural springs/rivers/ channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan.

(3) **Tourism/Eco-Tourism.-** (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b)The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 km from the boundary of the Wildlife Sanctuary or upto the extent of the ESZ whichever is nearer. However, beyond the distance of 1 km from the boundary of the

Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;

(iii) Until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel /resort or commercial establishment construction is permitted within ESZ area.

(4) **Natural Heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government or Telangana State Pollution Control Board shall implement the regulations for control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions stipulated of The Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986.

(7) **Air pollution.-** Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder and amendments thereto.

(8) **Discharge of effluents.-** Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) **Solid wastes. -** Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated 8th April, 2016 as amended from time to time; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.-** Bio medical waste management shall be as under:

(a) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016 as amended from time to time.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(11) **Plastic Waste Management**.- The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) **Construction and Demolition Waste Management**.- The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) **E-waste**.- The E- Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

(14) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) **Vehicular Pollution.-** Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws. Efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.

(16) **Industrial Units.-** (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) **Protection of Hill Slopes:** The protection of hill slopes shall be as under:

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

(18) The Central Government and the State Government shall specify other additional measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

4. List of activities prohibited or to be regulated or promoted within the Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone (CRZ), 2011 and the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

Sl. No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited activities		
1.	Commercial Mining	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries including new oil and gas exploration causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.)	No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted. Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major thermal and major hydroelectric projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws
6.	Setting of new saw mills and wood based	No new or expansion of existing saw mills shall be

	industries.	permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Use of plastic bags.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws
	Regulated activities	
10.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities. Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
11.	Construction activities	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one Kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub paragraph (1) of paragraph 3 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents such as: (i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads; (ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities; (iii) Small scale industries not causing pollution termed as per Classification done by Central Pollution Control Board of February 2016; (iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stays; and (v) Promoted activities listed in this Notification. (b) Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (c) Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
12.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
13.	Establishment of large scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Regulated under applicable laws.
14.	Felling of Trees	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State

		Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
15.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
16.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws. Underground cabling may be promoted.
17.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
18.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
19.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries termed as White Category as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
20.	Under taking other activities related to tourism like over flying the ESZ area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated under applicable laws.
21.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated under applicable laws
22.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
23.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
24.	Commercial use and extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable laws.
25.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
26.	Solid Waste Management /Bio-medical Waste Management	Regulated under applicable laws
27.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws.
28.	Use of Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
29.	Eco-tourism	Regulated under applicable laws
Promoted activities		
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
32.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
33.	Cottage industries including village artisans.	Shall be actively promoted.
34.	Use of renewable energy and fuels.	Bio gas, solar light etc. to be actively promoted
35.	Agro Forestry.	Shall be actively promoted.
36.	Plantation of Horticulture and	Shall be actively promoted

	Herbals	
37.	Use of eco-friendly transport	Shall be actively promoted.
38.	Skill Development	Shall be actively promoted.
39.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.
40.	Environmental Awareness	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.- In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 (1) of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby constitutes the first Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco Sensitive Zone, which shall comprise of, namely:-

(i) District Collector, Nagarkurnool District - Chairperson;

(ii) Field Director, Amrabad Tiger Reserve- Special Invitee;

(iii) One representative of non-Governmental Organisation (working in the field of environment including heritage conservation) to be nominated by the State Government- Member;

(iv) Regional Officer, Telangana State Pollution Board, Nagarkurnool- Member;

(v) Senior Town Planner /District Panchayat Officer, Nagarkurnool- Member;

(vi) Forest Divisional Officers, Achampet, Amrabad, WLM Nagarjunasagar- Members;

(vii) An expert in Ecology and environment to be nominated by the State Government- Member;

(viii) An expert in Biodiversity to be nominated by the State Government- Member;

(ix) District Forest Officer, Nagarkurnool- Member secretary.

Terms of Reference.-

(1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee would be constituted by the State Government.

(3) The Monitoring Committee shall not allow the activities that are covered in the Schedule to the notifications of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests namely Environmental Impact Assessment, 2006 vide S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and Coastal Regulation Zone, 2011 vide S.O. No. 19(E) dated 6th January, 2011 and subsequent amendments therein, and are falling in the Eco-sensitive Zone, including the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof. Only white categories of industries shall be considered as specified in the guidelines issued by the CPCB for "classification of Industries, 2016".

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and S.O. 19 (E) dated 6th January, 2011 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Commissioner shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wild Life Warden of the State under intimation to this Ministry as per proforma appended at **Annexure IV**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

6. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

7. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F.No. 25/34/2017-ESZ]

LALIT KAPOOR, Scientist 'G'

Annexure-I

Map of Amrabad Tiger Reserve, Telangana along with Eco-Sensitive Zone

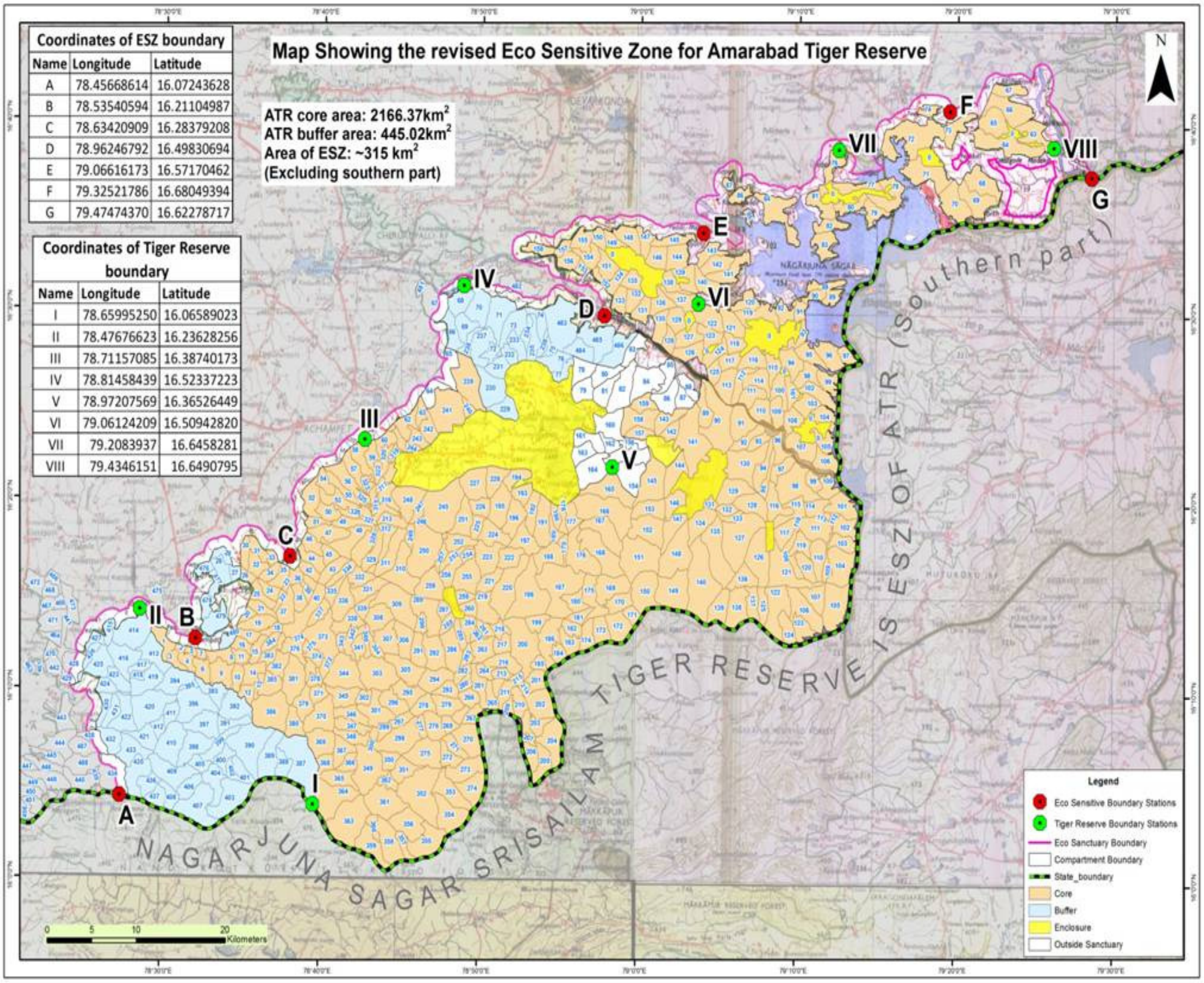

Annexure-I (A)

Map of Amrabad Tiger Reserve, Telangana showing the location of villages in the Eco-Sensitive Zone

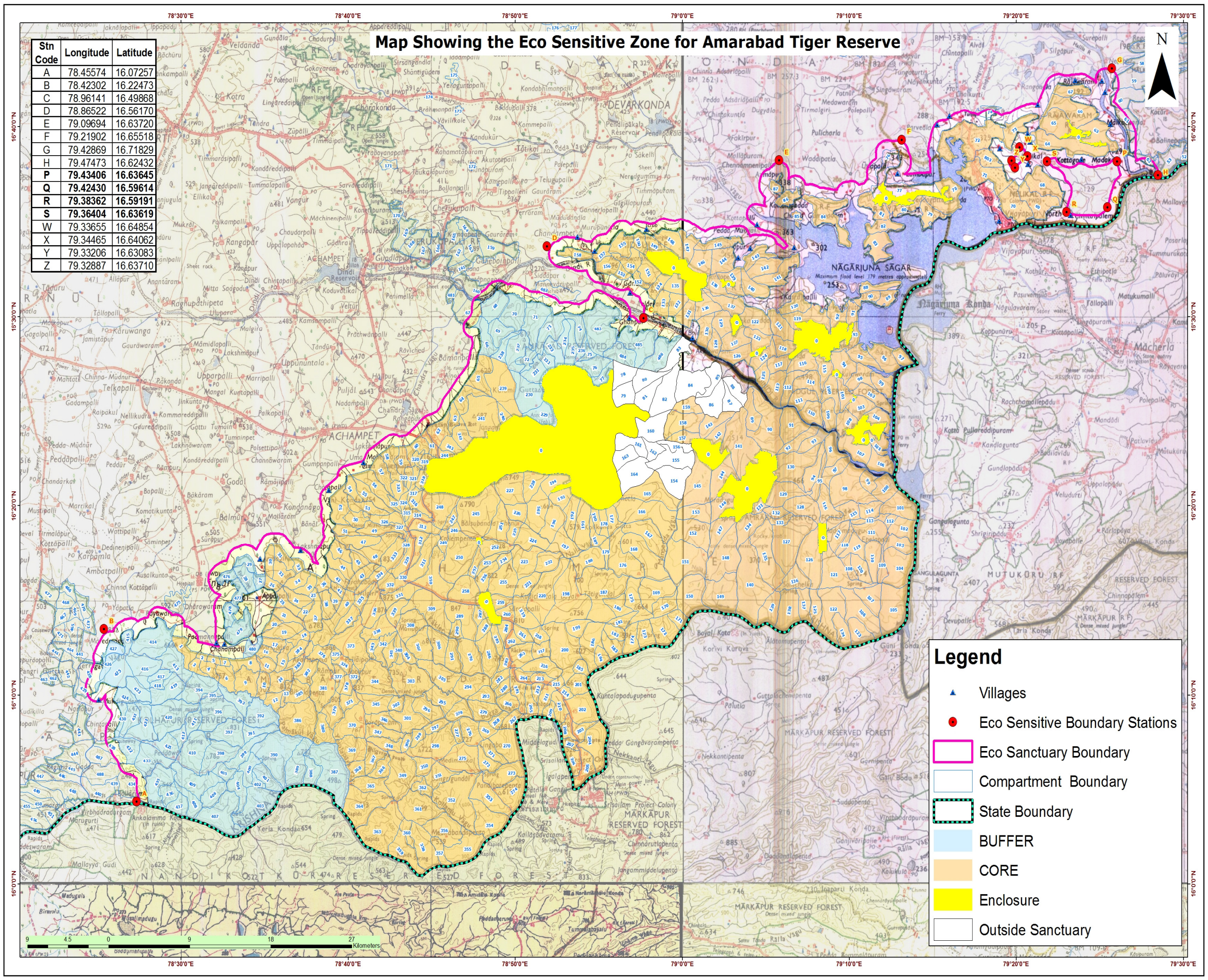

Annexure-I (B)

Geo Co-ordinates of boundary of Amrabad Tiger Reserve, Telangana

Point Code	Latitude	Longitude
i	16.06589023	78.65995250
ii	16.23628256	78.47676623
iii	16.38740173	78.71157085

iv	16.52337223	79.81458439
v	16.36526449	79.97207569
vi	16.50942820	78.06124209
vii	16.6458281	78.2083937
viii	16.6490795	78.4346151

Annexure I (C)

Geo-coordinates of Eco-sensitive Zone Boundary of Amrabad Tiger Reserve, Telangana

Point Code	Latitude	Longitude
A	16.07243628	78.45668614
B	16.21104987	78.53540594
C	16.28379208	78.63420909
D	16.49830694	78.96246792
E	16.57170462	78.06616173
F	16.68049394	79.32521786
G	16.62278717	79.47474370

Annexure II

Boundary Description of Eco Sensitive Zone of Amrabad Tiger Reserve, Telangana

West (A to B) :- The Eco-Sensitive Zone boundary line starts from station ‘A’ as shown on the map (Left Bank of River Krishna). The GPS reading of station ‘A’ is 16.07257 N, 78.45574 E. Thence the boundary line runs towards North – West direction in Zig – Zag manner with a width of ‘1’ Kms from Western boundaries of Compartment Nos. 435, 433, 432, 430, 424, 425, 426, 427 and meets at station ‘B’ as shown on the map. The GPS reading of station ‘B’ is 16.22473 N, 78.42302 E.

North (B to E) :- Thence the Eco-Sensitive Zone boundary line runs North - East direction from Station ‘B’ in Zig – Zag manner with a width of ‘1’ Km from Northern boundaries of Compartment Nos. 427, 415, 414. Thence the boundary line runs along northern boundary of Rajiv Gandhi Wildlife Sanctuary with a width of 1 Km up to South-West corner of Compartment No. 66. Thence the boundary line runs towards Northern direction with a width of 1 Km from western boundaries of Compartment Nos. 66, 68 and meets River bank of Dindi. Thence the boundary line runs towards Eastern direction in Zig-Zag manner with a width of 1 Km from northern boundaries of Compartment No. 68, 70, 71, 73, 74, 483, 485, 486 and meets at Station ‘C’ as shown on the map. The GPS reading of Station ‘C’ is 16.49868 N, 78.96141 E. Thence the Eco-Sensitive Zone boundary runs from Station ‘C’ towards northwest in a zigzag manner along the western boundary of Compartment No. 131, 132, 133, 134, 152, 153, 156 and 158 to reach station ‘D’. The GPS readings of station ‘D’ is 16.56170 N, 78.86522 E. From station ‘D’ the Eco-Sensitive Zone boundary runs towards east at a distance of 1 Km along the Compartment No.: 158, 157, 155, 150, 149, 148, 147, 145, 144, 139, 140, 143, 142, 141. Thence the boundary line runs in a north-westerly direction, takes a turn in easterly direction and runs up to Compartment No. 84 and turns west along boundary of Compartment No. 86 and 87 and reaches Station ‘E’. The GPS readings of station ‘E’ are 16.6372 N, 79.09694 E and turns towards east and runs along Compartment No. 84, 81. Thence the line runs towards north along Compartment No. 76 and after going around compartment No. 76 and reaches Station ‘F’. The GPS readings of station ‘F’ are 16.65518 N, 79.21902 E and takes turn to south and then east to run along boundary of Compartment No. 77. The line then runs along boundary of Compartment No. 78, turns north and then east to run along northern boundary of Compartment No. 72, 73, 67. The line then runs towards east and crosses Halia River to reach Station ‘G’. The GPS Readings of Station ‘E’ are 16.71829 N 79.42869 E.

East (G to H) :- The Eco-Sensitive Zone boundary line then runs towards southern direction at a distance of 1 Km from the banks of Halia River along Compartment No. 59, 60, 61 and 62 to reach the left bank of River Krishna which is Station ‘F’. The GPS Readings of Station ‘H’ are 16.62432 N 79.47473 E. The Eco-Sensitive Zone boundary line also runs at a distance of 100 metres from Halia River from Station ‘P’. The GPS readings of Station ‘P’ are 16.63645 N, 79.43406 E and runs down south which is station ‘Q’. The GPS readings of Station ‘Q’ are 16.59614 N, 79.42430 E and turns east towards south-eastern corner of Compartment No. 69 to reach Station ‘R’. The GPS readings of Station ‘R’ are 16.59191 N, 79.38362 E. The line then runs North West along the eastern boundary of Compartment No. 69 & 68 to reach Station ‘S’. The GPS readings of Station ‘S’ are 16.63619 N, 79.36404 E and takes a turn towards east and travels along the boundaries of Compartment No. 64 and reaches Station ‘P’ which is the start point. The Eco-

Sensitive Zone line starts at Station ‘W’. The GPS Readings of station ‘W’ are 16.64854 N, 79.33655 E and runs parallel to Compartment No. 68, 69, 70 at a distance of 1 Km from the Compartment boundary travelling south west and reaches Station ‘X’. The GPS readings of the station ‘X’ are 16.64062 N, 79.34465 E, then takes a turn towards north along the eastern boundary of Compartment No. 71 and reaches Station ‘Y’. The GPS Readings of Station ‘Y’ are 16.63083 N, 79.33206 E and turns to north east along the boundary of Compartment No. 72, 73 and reaches Station ‘Z’. The GPS Readings of the Station ‘Z’ are 16.63710 N, 79.32887 E. The line then turns south east towards Compartment No. 68 and reaches the start point ‘W’.

South (H to A): -The boundary of Eco-Sensitive Zone then runs along River Krishna in south western and western direction which is also the state boundary between Telangana and Andhra Pradesh to reach station ‘A’ which is the starting point.

Annexure III

List of villages falling in Amrabad Tiger Reserve Eco–sensitive Zone

Sl. No	Name of the District	Name of the Division	Name of the Mandal	Name of the Village	Latitude	Longitude
1	Mahaboob Nagar	Achampet	Kollapur	Mukkidigundam	16.16226	78.41752
			Lingal	Padmanapalli	16.21280	78.53516
			Lingal	Chennampally	16.21175	78.54313
			Lingal	Ambagiri	16.28598	78.57857
			Amrabad	Laxmapur	16.29374	78.61904
			Achampet	Choutapally Tanda	16.34680	78.64714
			Achampet	Chenchupalugu Tanda	16.37091	78.68195
			Achampet	Ghanpur	16.49879	78.94699
2	Nalgonda	N.Sagar	Peddavoora	Pylong Colony	16.58384	79.31606
			Peddavoora	Chintalapalem	16.58922	79.38721
			Peddavoora	Jal thanda	16.63394	79.34483
			Peddavoora	Urabavi thanda	16.67608	79.26635
			Peddavoora	Mallevanikunta tanda	16.66834	79.25402
			Peddavoora	Yerrachervu thanda	16.64768	79.31660
			Anumula	Garkanet thanda	16.66892	79.42724
			Anumula	Yellapur thanda	16.68623	79.35442
			Anumula	Rajavaram	16.70714	79.41853
			Anumula	Dokkalabavi	16.69734	79.42177
			Peddavoora	Chennaipalem	16.63811	79.39808
			Peddavoora	Chekkolam	16.66055	79.34442
			Peddavoora	Pilligunta thanda	16.65329	79.34688
			Peddavoora	Godumadaka	16.63394	79.34483
			P.A.Pally	Nambapur	16.62576	79.21464
			Anumula	Ashoknagar	16.70749	79.39182
			Nidugul	Pathuruthanda	16.56979	78.89532
			Nidugul	Korutla	16.55741	78.91228
			Nidugul	Malonibavi thanda	16.57674	78.96402
			Nidugul	Bachapur	16.56000	79.06759
			Nidugul	Peddamunigal	16.58067	79.07455
			Nidugul	Pallagattu thanda	16.55149	79.05578

			Nidugul	Vijag Colony	16.56042	79.11156
			Nidugul	Bandamedi thanda	16.48072	79.00992
			Nidugul	Teldevarapalli	16.52065	78.94788
			Nidugul	Chitriyala	16.53799	79.99793

Annexure IV

Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). [Details may be attached as Annexure]
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006. [Details may be attached as separate Annexure]
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006. [Details may be attached as separate Annexure]
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986;
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2018.03.19 12:56:11 +05'30'